तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/5/22	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इत्तला होकर पत्रावली आइन्दा 13/6/22 को पेश हो ।
13/6/22	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इत्तला होकर पत्रावली आइन्दा 30/6/22 को पेश हो ।
30/06/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। TDR रिपोर्ट प्राप्त। शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस दि० 12/7/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
12/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 13/7/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी
13/07/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। आदेश [illegible] के पारित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुदा होकर [illegible] दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 166/2021

प्रार्थी

1. नानजीराम पुत्र हुकमाराम
   जाति कलबी निवासी पादरडी कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. ग्राम पंचायत सिन्धासवा हरनियान जरिये सरपंच

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19.0

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरुद्ध कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि तहसील गुड़ामाला पटवार मण्डल सिन्धासवा हरनियान के राजस्व ग्राम पादरडी कला के खेत खसरा नम्बर 105 रकबा 2.7761 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105/2 रकबा 0.9470 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 1.6997 हैक्टेयर की आई हुई है, प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 105 के बीचों–बीच कटाण रास्ता खसरा नम्बर 150 खसरा नम्बर 104 के सेढा–सेढ चलता हुआ वक्त सेटलमेंट से आया हुआ है, प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 105 में से जिस जगह रास्ता चला था, वह भूमि राजस्थान सरकार के नाम समर्पण कर दी, जिसके खसरा नम्बर 105/1 कायम हुआ, जो खसरा नम्बर 104 की सीमा तक कटाण किया हुआ है, परन्तु खसरा नम्बर 104 व 105/2 के सेढा–सेढ खसरा नम्बर 150 का कटाण रास्ता मौके पर चलता है परन्तु वक्त सेटलमेंट सेटलमेंटकर्मियों की भूल से प्रार्थी के खसरा नम्बर 105 व 288 के बीच खसरा नम्बर 150 की भूमि लट्ठा ट्रेस में तरमीम कर दी, जबकि मौके पर खसरा नम्बर 150 कटाण रास्ता प्रार्थी के खसरा नम्बर 105 के बीच में से होता हुआ खसरा नम्बर 104 के सेढे खसरा नम्बर 287 तक चलता है। वर्तमान में गलरमीम व मौके पर चल रहे रास्ते में भिन्नता है इसलिये खसरा नम्बर 150 की की तरमीम जहां [illegible] रास्ता चला है, वहां पर करवाना आवश्यक होने से तरमीम दुरूस्त करने हेतु उ[illegible] न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट कमांक 03 दिनांक 30.06.2022 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी